दिनांक 10.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 422/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना महोली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.08.2026 को थाना महोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनेलाल उर्फ सानू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना इमलिया सुल्तानपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महोली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनेलाल उर्फ सानू निवासी गंगई हेमपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर।

कमिश्नरनेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर विस्तार

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 08 हजार 100 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 10.08.2026 को थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–4 स्थित ईदगाह के पास से 03 अभियुक्तों 1–मोनू 2–रामदयाल 3–विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 08 हजार 100 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विशाल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू निवासी जहाँगीरपुरी एनएस मण्डी नई दिल्ली, हालपता लक्ष्मणपुरी थाना गाजीपुर कमिश्नरेट लखनऊ।

2—रामदयाल निवासी वार्ड नं0—15 तलखापुर, सीतामढ़ी बिहार, हालपता विजय बिहार तकरोही थाना इन्दिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

3—विशाल निवासी ग्राम कठौता विजयन्तखण्ड थाना विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—चोरी के 08 हजार 100 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना अरौल

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 10.08.2026 को थाना अरौल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—मो0 शरीफ उर्फ छोटू 2—फहीम को गिरफ्तार किया गया तथा एक बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में सफेद धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अरौल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अरौल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अरौल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 शरीफ उर्फ छोटू निवासी ग्राम उसरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

2–फहीम निवासी ग्राम उसरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में सफेद धातु के आभूषण।

2–01 मोबाइल फोन आदि।

- **जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 34 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/452/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–भूपनारायण 2–संतोष को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना हलधरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना हलधरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिद्वार को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना मिरहची (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मिरहची पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि व 25 आर्म्स

एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कैलाश को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पुष्पेन्द्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना गिरवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना गिरवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हमीद 2–राजअली 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना खैरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना खैरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय उर्फ अल्लो को 10 वर्ष के कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बृजेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————